



2026:AHC:29848

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1961 सन् 2026

अनिल राय एवं 8 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: विजय कुमार राय
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार राय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% प्रति माह के ब्याज के साथ महाकुंभ मेला शुल्क से संबंधित यात्रा भत्ते के हकदार हैं। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पेपर बुक के पृष्ठ -31 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि इसे पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पहली बार में निर्णय की आवश्यकता है।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश करने की तारीख से सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"